रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102024-258286 CG-DL-E-28102024-258286

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4320]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/ कार्तिक 6, 1946 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

No. 4320]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4696(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने से छोड़ी हुई बातों के अलावा, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है. नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) यह 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।:

6981 GI/2024 (1)

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते इसके भी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथापरिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे।:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात, एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, इस शर्त के साथ कि ऐसे आयातित माल और वस्तुओं को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा, और वरनिर्माता ऐसे आयातित माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकॉर्ड रखेगा और अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने लेटर हेड पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारण- उक्त ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

	I		_			1
क्रम सं.	सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक		लिए कार्यान्वयन की तारीख	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	, 6	7092 (भाग 1):1992	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु ट्यूब -वेल्डेड ट्यूब	अप्रैल, 2025	1 अक्तूबर, 2025	1 जुलाई, 2025
2.		7092 (भाग 2):1987	सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु ट्यूब -वेल्डेड ट्यूब			
3.		5484:1997	निरंतर कास्टिंग और रोलिंग द्वारा उत्पादित विद्युत कंडक्टर ग्रेड एल्यूमीनियम			
4.		733:1983	रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु बार, छड़ और सेक्शन (सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए)			

5.	734:	; ; ;	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु, फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग		
6.	736:	; ;	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेट		
7.	737:2	; ; ;	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु शीट और पट्टी		
8.	739:	; ;	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु के तार		
9.	740:	; ; ;	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु रिवेट स्टॉक		
10.	5082	1 1 2	विद्युत उपकरणों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु बार, छड़, ट्यूब, सेक्शन, प्लेट और शीट		
11.	1601	1 1 1	दवाओं की पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु फॉयल		

12.		17682:2021	एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल
13.		1285:2002	कपाजिट पनल सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु - एक्सट्रूडेड गोल ट्यूब और हॉलो
14.		2067:1975	सेक्शन विद्युत प्रयोजनों के लिए रॉट एल्यूमीनियम तार
15.		21:1992	बर्तनों के विनिर्माण के लिए रॉट एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु
16.	-	1254:2007	नालीदार एल्यूमीनियम शीट
17.		7902:2001	एयरोस्पेस उपकरणों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग (मिश्र धातु 24343)

नोट- उक्त तालिका के प्रयोजनों के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित संशोधनों सहित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

[फा. सं. पी-29026/7/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
ORDER

New Delhi, the 25th October, 2024

S.O. 4696(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2024.

- (2) It shall come into force on the 1st April, 2025.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to the goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Aluminium products per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain year-wise record of such imported goods or articles and furnish to the Central Government on its letter head duly signed by its authorized signatory.

- **3. Certification and enforcement authority.-** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.
- **4. Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

SL.No.	articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	implementation in general (other than micro and small enterprises)	implementation for micro enterprises	enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aluminium and aluminium alloy products	7092(Part1):1992	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes –welded tubes	•	1 st October, 2025	1 st July, 2025
2.		7092(Part2):1987	Aluminium alloy tubes for irrigation purposes –welded tubes			
3.		5484:1997	Electrical conductor grade aluminium rod produced by continuous casting and rolling			
4.		733:1983	Wrought aluminium and aluminium alloy bars, rods and sections (for general engineering purposes)			
5.		734:1975	Wrought aluminium and aluminium alloys, forging stock and forgings for			

general	
engineering	
purposes	
6. 736:1986 Wrought	
aluminium and	
aluminium alloy plate for general	
engineering	
purposes	
7. 737:2008 Wrought	
aluminium and	
aluminium alloy	
sheets and strip	
for general	
engineering	
purposes	
8. T39:1992 Wrought aluminium and	
aluminium alloy	
wire for general	
engineering	
purposes	
9. 740:1977 Wrought	
aluminium and	
aluminium alloy	
rivet stock for	
general	
engineering purposes	
10. Sold Wrought aluminium and	
aluminium alloy	
bars, rods, tubes,	
sections, plates	
and sheets for	
electrical	
appliances	
11. 16011:2012 Aluminium and	
aluminium alloy foil for	
pharmaceutical	
packaging	
12. 17682:2021 Aluminium	
composite panel	
13. 1285:2002 Wrought	
aluminium and	
aluminium alloys-	
extruded round	
tube and hollow	
section for general	
engineering	
purpose	
14. 2067:1975 Wrought	
aluminium wire	
for electrical	
purposes	
15. 21:1992 Wrought	
aluminium and	
aluminium alloys	
for manufacture of utensils	
Of decisits	

[भाग II—खण्ड $\,3(ii)$] भारत का राजपत्र : असाधारण

16.	1254:2007	Corrugated aluminium sheet
17.	7902:2001	Aluminium alloy forging stock and forgings (alloy 24343) for aerospace appliances

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.